been informed by the hon. Member Shri Krishnacharya Joshi. That has not been done.

BEEDI AND CIGAR LABOUR BILL*

Shri A. K. Gopalan (Cannanore): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for regulating employment and work in the factories manufacturing Beedi and Cigar in India.

Mr. Chairman: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for regulating employment and work in the factories manufacturing Beedi and Cigar in India."

The motion was adopted.

Shri A. K. Gopalan: I introduce the Bill.

ANCIENT AND HISTORICAL MONUMENTS AND ARCHAEOLOGICAL SITES AND REMAINS (DECLARATION OF NATIONAL IMPORTANCE) AMENDMENT BILL

श्री बलवन्त सिंह मेहता (उदयपुर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष। राष्ट्रीय महत्व की घोषणा अधिनियम, १९५१ पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में विचार किया जाये।

सभापति महोदय, सैंकड़ों और हजारों वर्षों की हमारी उपेक्षा और अंग्रेजों द्वारा की गयी, तोड़-फोड़ तथा वर्षा, आंधी, ओले और सर्दी गर्मी की मार के बाद भी हमारे सारे भारत वर्ष में आज भी सर्वत्र हजारों की संख्या में राष्ट्रीय महत्व के कई स्थान, अवशेष, स्मारक आदि मिलते हैं, जिनसे हमको अपने पुराने गौरव तथा संस्कृति की झलक मिलती है।

सबसे पहले सन् १९०४ में लार्ड कर्जन ने एंशेंट मानूमेंट्स प्रिजरवेशन ऐक्ट (प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम) का कानून बनाकर इन सब स्मारक, अवशेषों आदि को संरक्षण दिया तथा उनकी मरम्मत की व्यवस्था की। किन्तु जहां तक देशी राज्यों का सम्बन्ध था वह कानून उन पर लागू न हो सका और हमारी स्वराज्य प्राप्ति के बाद भी अर्थात् रियासतों के विलीनीकरण के बाद भी सन् १९४८ तक इस कानून का उन पर कोई असर नहीं हुआ। जब हमारा संविधान सन् १९५० में पास हुआ तब से हमारे केन्द्र के पुरातत्व विभाग का कार्यक्षेत्र संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और अवशेषों आदि तक सीमित हो गया। लेकिन जब सरकार ने देखा कि ऐसा होने पर भी 'ख' और 'ग' श्रेणी के राज्यों में बहुत से ऐसे स्मारक बाकी रह जाते हैं तो सन १९५१ में "एंशेंट एंड हिस्टारीकल मानूमेंट्स एंड आर्कियालाजीकल साइट्स एंड रिमेन्स (डिकलेरेशन आफ नेशनल इम्पार्टेंस ऐक्ट, प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) अधिनियम) स्वीकृत किया गया। लेकिन उस वक्त भी जब वह कानून अमल में आया तो बहुत से लोगों को यह शिकायत रही कि उसमें भी बहुत से महत्वपूर्ण स्थान छूट गये हैं, और ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योंकि उस कानून को लाने के पहले कोई जांच पड़ताल नहीं हुई थी और न कोई सर्वेक्षण ही हुआ था।

दो वर्ष के बाद यह अनुभव किया गया कि कुछ स्थानों को और उसमें जोड़ने के लिये एक विधेयक लाया जाये, और डा० रघुवीर ने राज्य सभा में इसी सन् १९५१ के कानून के अन्तर्गत एक दूसरा संशोधक विधेयक पेश

---

*Published in the *Gazette of India Extraordinary* Part II—Section 2, dated 7-12-56, pp.....